

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य-जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 05.01.2023\***

**\*अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता\*-**

**\*थाना गजरौला पुलिस द्वारा शातिर लूटेरा गिरफ्तार, लूट की विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित 36,000/- रुपये नगद, अवैध असलाह व दिल्ली से चोरी की हुई यामाहा FZS मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा शातिर लूटेरा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लूट की विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित 36,000/- रुपये नगद, अवैध असलाह व दिल्ली से चोरी की हुई यामाहा FZS मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई ।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 04.01.2022 की शाम थाना गजरौला पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक यामाहा FZS मो0सा0 सवार अभियुक्त देवेश पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जलालपुर कर्ला थाना रजबपुर अमरोहा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से अवैध असलाह 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर, एक मूल आधार कार्ड व दो आधार कार्ड की छायाप्रति व दो सफेद कागजों पर हाथ से लिखी हुई रसीद, लूट की विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित 36,000/- रुपये नगद व दिल्ली से चोरी की हुई यामाहा FZS मो0सा0 (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये ।

**\*पूछताछ विवरण\*:-**

पूछताछ पर अभियुक्त देवेश द्वारा बताया गया कि मेरे साथी रेवत पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम नगलिया शाहपुर थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल व उसका साथी भीम हम लोग एक दिन चौपला चाराहे से आगे खड़े थे तभी एक अपाचे मोटर साईकिल जो बिल्कुल नई थी जाती दिखाई दी तो वे दोनो मुझे वहीं छोड़कर उसके पीछे मोटर साईकिल छीनने की बात कहकर चले गये । कुछ समय बाद दोनो उस अपाचे मोटर साईकिल को लेकर आ गये तब हम तीनो उन दोनों मोटर साईकिलो पर बैठकर ग्राम जलालपुर के लिए चले गये थे । रेवत व भीम ने मोटर साईकिल वाले से उसका एक मोबाइल भी छीना था मोबाइल टैक्नो कम्पनी का था उसको गांव के नजदीक जाकर बन्द कर दिया था । रेवत व भीम लूटी गयी मोटर साईकिल व मोबाइल लेकर चले गये थे । रेवत ने मुझे पर्स दिया था पर्स में 250 रुपये व आधार कार्ड था 250 रुपये मैंने खर्च कर दिये थे आधार कार्ड मैंने अपने पास रख लिया था जिसे मैं फेकना भूल गया था । रेवत ने यह भी बताया था कि मोटर साईकिल छीनने में बड़ी हाथापाई करने पर भीम ने मोटर साईकिल चालक को गोलियां मार दी थी (\*सम्बन्धित मु0अ0सं0 799/22 धारा 394 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा\*) ।

अभियुक्त देवेश द्वारा यह भी बताया कि करीब 20 दिन पहले अपने साथी संजू सैनी जो ग्राम सबदलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व हेमन्द्र उर्फ गोली उर्फ अनुज जो ग्राम अलावलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर कस्बा धनौरा मण्डी में मण्डी समिति के सामने शाम के समय एक व्यापारी से बैग छीनकर ले गये थे जिसमें कुछ रुपये नकद व कुछ हिसाब किताब की पर्ची तथा सुंगधा सिंघल के आधार कार्ड की छायाप्रति व इनके बैंक की पास बुक मिली थी । लूट के हिस्से से मुझे 50000 मिले थे कुछ खर्च हो गये और बाकि 31000 रुपये उसी घटना से बचे हैं (\*सम्बन्धित मु0अ0सं0 490/22 धारा 392/411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा\*) ।

अभियुक्त देवेश द्वारा यह भी बताया कि मैंने अपने साथी रेवत व भीम उपरोक्त के साथ ग्राम गुन्ठल में दीपक रस्तोगी जोकि सोने चांदी की दुकान करता था जब वह दुकान बंद करके शाम के समय अपने घर के लिए स्कूटी से जा रहा था तो सुनसान जगह पर हमने दीपक रस्तोगी को रोककर डरा धमाकर उसके डिग्गी में रखे रुपये व जेवरात तथा मोबाइल छीनकर ले गये थे । उक्त लूट में मुझे 25000 रुपये मिले थे जो खर्च हो गये बस ये 5000/- रुपये बचे हैं (\*सम्बन्धित मु0अ0सं0 311/22 धारा 392/411 भादवि थाना बनियाठेर जनपद सम्भल\*) ।

अभियुक्त देवेश ने बरामद मो0सा0 यामाहा FZS (बिना नम्बर प्लेट) को अपने साथी रेवत व भीम के साथ मिलकर वर्ष 2020 में दिल्ली से चोरी करना बताया गया उक्त चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना डाबरी द्वारिका दिल्ली पर मु0अ0सं0 013222/20 धारा



**\*गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. देवेश पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम जलालपुर कर्ला थाना रजबपुर अमरोहा ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. अवैध असलाह तमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर ।
2. एक मूल आधार कार्ड व दो आधार कार्ड की छायाप्रति व दो सफेद कागजो पर हाथ से लिखी हुई रसीद ।
3. 31,000/- रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 490/22 धारा 392/411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा) व 5,000/- रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 311/22 धारा 392/411 भादवि थाना बनियाठेर जनपद सम्भल )  
\*कुल 36,000/- रुपये नगद\* ।
4. दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 FZ-S यामाहा रंग नीला बिना नम्बर प्लेट ।

**\*अपराधिक इतिहात अभियुक्त देवेश\*:-**

1. मु0अ0सं0 799/22 धारा 394 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 10/23 धारा 411/414 भादवि व 3 / 25 आयुद्ध अधि0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 013222/20 धारा 379 भादवि थाना डाबरी द्वारिका दिल्ली ।
4. मु0अ0सं0 490/22 धारा 392/411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 311/22 धारा 392/411 भादवि थाना बनियाठेर जनपद सम्भल ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक अरिहन्त कुमार सिद्यार्थ थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 करमजीत सिंह थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. का0 1267 प्रवेश भारद्वाज थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

4. का0 278 अरूण कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
5. का0 205 आकाश भारती थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
6. का0 1149 दीपक थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***